



भारत सरकार  
Government of India  
खान मंत्रालय  
Ministry of Mines  
भारतीय खान ब्यूरो  
Indian Bureau of Mines  
Mine Code: 38RAJ09002

माखपुरा औद्योगिक क्षेत्र,  
Makhupura Industrial Area,  
अजमेर -305002 (राजस्थान)  
Ajmer- 305002 (Rajasthan)

संख्या: E/4136/MCDR-MiFLOLST/6/2023-AJM-IBM\_RO\_AJM

दिनांक : 14.12.2023

प्रेषित: एजेंट, कारुन्दा चूना पत्थर खान,  
मेसर्स जे.के. सीमेंट वर्क्स,  
(जेके सीमेंट लिमिटेड की इकाई),  
कैलाश नगर- 312617, निम्बाहेरा, जिला-चित्तौड़गढ़ (राजस्थान)  
ईमेल- manish.toshniwal@jkcement.com

विषय: Violation of provisions of Mineral Conservation & Development Rules, 2017 in respect of your **Karunda Limestone Mine** (M.L. No. 3/2003, Lease area 240.86 Hect.) in Chittaurgarh District of Rajasthan State.

महोदय,

The following provisions of the Mineral Conservation and Development Rules, 2017 were found violated in your above mine during the inspection made on 20.10.2023 by the undersigned in presence of Sh. Peeyush Kumar Ameta, Mine Manager:

Rule No.	Nature of violation observed in detail
45(7)	In annual return 2022-23 following discrepancies were observed: 1) In part-VI-(Production, Despatches and Stocks), item-3(ii) ( <i>Gradewise production, despatches, stocks and ex-mine prices</i> )-You have reported cement grade limestone opening stock as 1293014 tonnes and closing stock as 1441814 tonnes however the same figures have also been reported in item-3 (subgrade-mineral reject) of Part-V. This is resulting in duplicacy of stock 2) In part-V- (General Geology & Mining), item-4 ( <i>Overburden and Waste (in m3)</i> ), Overburden at the beginning of the year is reported as 483333 m3. Generated overburden quantity has been given as 59385 m3, disposed in dumps and backfilled have been given as 3944 m3 and 0 m3 respectively. This should result in total overburden at the end of the year to be 494733 m3. But it has been reported as 542718 m3.

02. इस संदर्भ में आपका ध्यान आकर्षित किया जाता है कि उपरोक्त नियमों का उल्लंघन खनिज संरक्षण एवं विकास नियमावली, 2017 के नियम 62 के अंतर्गत दण्डनीय अपराध है एवं उपरोक्त नियमों का उल्लंघन की अनुपालना नहीं होने पर खनिज संरक्षण एवं विकास नियमावली, 2017 के अंतर्गत आपकी खदान की सारी संक्रियाएं बंद की जा सकती हैं अथवा आपके विरुद्ध अभियोग दायर किया जा सकता है।

03. इस संदर्भ में आपका ध्यान आकर्षित किया जाता है कि नियम 45(7) के उल्लंघन के लिए खनिज संरक्षण एवं विकास (संशोधन) नियमावली, 2021 की अनुसूची-2 के प्रावधान लागू होंगे।

04. अतः आपको यह निर्देशित किया जाता है कि इस पत्र के जारी होने की तिथि से से 30 (तीस) दिनों के भीतर कारण बताए कि उपरोक्त उल्लंघन के लिए पैरा 02 एवं पैरा 03 में वर्णित कार्यवाही क्यों न की जाए।

05. कृपया ध्यान रखें कि भविष्य में आपको इस संदर्भ में कोई सूचना नहीं दी जाएगी।

भवदीय

(डी.आर. गुर्जर)

उप खान नियंत्रक  
भारतीय खान ब्यूरो

प्रतिलिपि, सूचनार्थ प्रेषित :-

1. खान नियंत्रक (उत्तर), भारतीय खान ब्यूरो, उदयपुर (ईमेल द्वारा)।
2. निदेशक, खान एवं भूविज्ञान विभाग, राजस्थान सरकार, उदयपुर।
3. सहायक खनि अभियंता, खान एवं भूविज्ञान विभाग, राजस्थान सरकार, निम्बाहेड़ा, जिला- चित्तौड़गढ़।
4. रक्षित पत्रावली।